

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 9 (28)/एसटीए/आरटीए/परि/मु0/88/II/12377 जयपुर, दिनांक : 27/11/11

अधिसूचना

मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 67 की उप धारा (1) के खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक: एफ 7 (100) परि/नियम /2005 जयपुर, दिनांक 23.09.2011 द्वारा, राज्य परिवहन प्राधिकरण को जारी निर्देशों की अनुपालना में, राज्य परिवहन प्राधिकरण इस संबंध में जारी पूर्व अधिसूचना क्रमांक 12876 दिनांक 29.06.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए, अनन्यतः नगरपालिका या नगर सुधार न्यास की सीमा में चलने वाले ऑटो रिक्शाओं के लिए भाडे की दरें निम्नानुसार नियत करती है। ये दरें इस अधिसूचना के राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी।

|                    |               |   |  |  |
|--------------------|---------------|---|--|--|
| 2<br>ऑटो<br>रिक्शा | 13.00<br>8.00 | प्रथम एक कि.मी. तक<br>के लिए न्यूनतम<br>प्रत्येक पश्चात्वर्ती कि.<br>मी. के लिए | रोके रखने की<br>संपूर्ण अवधि के<br>लिए 30 पैसे प्रति<br>मिनट | 1. 10 कि.ग्रा.<br>तक के पैकेज<br>के लिए कोई<br>प्रभार नहीं<br>2. 10 कि.ग्रा. से<br>अधिक के<br>पैकेज के लिए<br>4/- रु.<br>प्रति पैकेज |
|--------------------|---------------|---|--|--|

(दीपक उप्रेती)

सदस्य

राज्य परिवहन प्राधिकार  
परिवहन विभाग,  
राजस्थान, जयपुर।